

Through e-mail
8/1/16



8/1/16
From
R.N. Yadav, H.J.S.
Central Project Co-ordinator
High Court, Allahabad

To
All the District Judges
of Uttar Pradesh

Letter No. 859/XXXIV-CPC/eCourts/Allahabad Dated: 08.01.2016
SUBJECT :- Forwarding of GO. NO. 26/Sankhya-1619/saat-Nyaya-2-15-85
G/2011 Dated 03 December 2015.

Sir,

Kindly find attached herewith Government Order No. 26/Sankhya-1619/Saat-Nyaya-2-15-85 G/2011 dated 03 December 2015. Hon'ble Court has been pleased to approve the following resolution of Hon'ble Steering Committee on the said G.O.

"The committee resolves that the concerned District judges may be asked to ensure implementation of the aforesaid Government Order. For the purpose, the personal files of the System Officers and System Assistants, if they are in the High Court, may be sent to the respective District courts".

May I request to comply order of the Hon'ble Court.

Regards!


08/1/16

(R.N. Yadav)
CPC, Allahabad
High Court, Allahabad

Annexure: Government Order No. 26/Sankhya-1619/Saat-Nyaya-2-15-85
G/2011 dated 03 December 2015.

Copy To: OSD (Computer) For directing computer centre to upload on the website of the High Court and send personal files of System Officers and System Assistants to the concerned District Courts.

प्रेषक,

अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव,
उओप्रओ शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माओ उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

न्याय अनुभाग-2(अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ:दिनांक- 03दिसम्बर,2015

विषय:- ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु उओप्रओ के 70 जिला न्यायालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत सिस्टम आफिसर एवं सिस्टम सहायक की संविदा धनराशि का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के 70 जनपदों में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के संचालन हेतु कार्यरत सिस्टम आफिसर के पद पर प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पद हेतु अनुमन्य पे बैंड-2 रु0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600 के आधार पर रु0 13900 + मंहगाई भत्ता पर संविदा धनराशि तथा सिस्टम सहायक के पद पर पे बैंड-1 रु0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800 के आधार पर रु0 8000 + मंहगाई भत्ता पर संविदा धनराशि निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त संविदा वेतन उन्हीं कार्यरत कार्मिकों को देय होगा जो शासनादेश संख्या-144 /सात-न्याय-2-2012-83 जी /2012 दिनांक 02 फरवरी 2012 द्वारा निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं।

3- उक्त कार्मिकों को समय-समय पर शासन द्वारा अनुमन्य मंहगाई भत्ता देय होगा ।

2- इन शारानादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

How to the compensation

Submitted

May be placed in the next meeting to be